REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ : एक परिचय

डॉ. दीप्ति सिंह
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय नवीन महाविद्यालय केशवाही, जिला–शहडोल (म.प्र.)।

सारांश–

प्रस्तुत शोध–प्रपत्र मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य पर केन्द्रित है। भारत के मध्यप्रदेश राज्य में जनजातीय जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती हैं। ये जनजातीय समूह प्रदेश के अनेक अंचलों जैसे मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड व महाकौशल में निवास करती हैं। राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण इन प्रदेशों की भी कुछ जनजातियॉं सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत हैं। इसीलिए मध्यप्रदेश को ''जनजातियों का घोंसला'' कहा जाता हैं। सामान्यतः मध्यप्रदेश में बसी जनजातियों में (जनसंख्या की अधिकता का क्रम के अनुसार) गौड़, भील, कोल, कमार, उरांव सहरिया हैं। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातियों के विकासार्थ शैक्षणिक, आर्थिक एवं अन्य विकास योजनाएँ संचालित हैं। जो उनके विकास में बहुत ही सहायक ळें

मुख्य शब्द – मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियाँ जनसख्या, अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उप–योजना क्षेत्र।

प्रस्तावना –

मध्यप्रदेश, भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अछूता पूरी तरह से भू–आवेष्ठित राज्य हैं। जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवम्बर 1956 को गठित किया गया था। 01 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश का विभाजन कर नवीन छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से पृथक कर नये राज्य का गठन किया गया। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति $21^0 6'$ उत्तरी अक्षांश से $26^0 54'$ उत्तरी अक्षांश तथा 74^0 पूर्वी देशांतर से $82^0 47'$ पूर्वी देशांतर तक हैं। इसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई 870 कि.मी. और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 605 कि.मी. हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में ''अनुसूचित जनजातियाँ'' पद सर्वप्रथम प्रकट हुआ, जिसमें ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है, परिभाषित किया गया है। वर्तमान मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है। देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन 1976 में इन्हें 46 समुदाय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। परंतु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है।

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ –

वर्तमान भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य मध्यप्रदेश ही है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7,26,26,809 तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 1,53,16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 7,719,404 और महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 7,597,380 हैं। मध्यप्रदेश में जिलेवार जनजातीय जनसंख्या का वितरण असमान प्रतीत होता हैं।

तालिका क्रमांक 1.1 : मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातिवार एवं लिंगवार जनसंख्या (2011)

क्र.स.	अनुसूचित जनजातियाँ	जनजातीय जनसंख्या			कुल जनजातीय जनसंख्या में प्रति□ात
		कुल	पुरुश	महिला	
1.	अगरिया	41,243	20,706	20,537	0.27
2.	आन्ध	137	70	67	0.0008
3.	बैगा	414,526	207,588	206,938	0.71
4.	भैना	6,357	3,192	3,165	0.04
5.	भारिया, भूमिआ आदि	193,230	97,574	95,656	0.26
6.	भतरा	1,155	599	556	0.007
7.	भील, भिलाला आदि	5,993,921	3,016,445	2,977,476	39.13
8.	भील मीना	2,244	1,194	1,050	0.01
9.	भुजिंया	1,469	767	702	0.009
10.	बिआर, बीआर	10,452	5,390	5,062	0.07
11.	बिंझवार	15,805	7,766	8,039	0.10
12.	बिरहुल, बिरहोर	52	27	25	0.0003
13.	डामोर, डामरिया	1,815	936	879	0.01
14.	धनवार	2,175	1,109	1,066	0.01
15.	गदाबा,गदबा	578	295	283	0.003
16.	गोंड आदि	5,093,124	2,549,973	2,543,151	33.25
17.	हलबा, हलबी	14,438	7,148	7,290	0.09
18.	कमार	666	333	333	0.004
19.	कारकू	265	156	109	0.001
20.	कंवर आदि	18,603	9,380	9,223	0.12
21.	खैरवार	76,097	39,193	36,904	0.49
22.	खरिया	2,429	1,258	1,171	0.02
23.	कोंध, खोड	109	54	55	0.0007
24.	कोल	1,167,694	595,338	572,356	7.62
25.	कालम	224	112	112	0.001
26.	कोरकू आदि	730,847	372,552	358,295	4.77
27.	कोरवा, कोडाकू	920	459	461	0.006
28.	मांझी	50,655	26,513	24,142	0.33
29.	मझवार	443	226	217	0.003
30.	मवासी	109,180	55,234	53,946	0.71
31.	मुंडी	5,041	2,669	2,372	0.03
32.	नगेसिया, नगासिया	359	180	179	0.002

33.	उरांव आदि	28,431	14,275	14,156	0.19
34.	पनिका	97,767	49,546	48,221	0.64
35.	पाव	44,312	21,706	22,606	0.29
36.	परधान, पथारी, सरोती	123,742	62,189	61,553	0.81
37.	पारधी आदि	5,896	3,029	2,867	0.04
38.	परज़ा	137	70	67	0.0009
39.	सहरिया, सहारिया आदि	614,958	316,541	298,417	0.01
40.	साओता, सौता	190	113	77	0.001
41.	सौर	167,340	86,357	80,983	0.09
42.	सावर, सवरा	881	464	417	0.006
43.	सौंर	12,905	6,644	6,261	0.084
	कुल अनुसूचित जनजातियाँ	**15,316,784**	**7,719,404**	**7,597,380**	**100**

स्त्रोतः आदिवासी शोध व विकास संस्थान, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (वर्ष 2011)।

जनगणना 2011 के आँकड़े (तालिका क्रमांक 1.1) के आधार पर मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भील, गोंड, कोल, कोरकू जनजातीय समुदाय का हैं। यहाँ दो समूह गोंड तथा भील ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या एक हजार से भी कम हैं। मध्यप्रदेश के अधिकतर आदिवासी प्रोटो आस्ट्रालोयड प्रजाति के हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या भील की 5,993,921 (39.13 प्रतिशत) हैं। इसके बाद क्रमशः गोंड 33.25 प्रतिशत, कोल 7.62 प्रतिशत, कोरकू 4.77 प्रतिशत हैं। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.09 हैं जो देश की तुलना में सर्वाधिक हैं। प्रदेश में आन्ध और बिंझवार जनजातियों में महिला जनजाति जनसंख्या पुरुष जनजाति जनसंख्या से अधिक हैं, जबकि कमार और कालम जनजातियों में महिला और पुरुष जनजाति जनसंख्या बराबर हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या 86.85 प्रतिशत झाबुआ में और सबसे कम 0.5 प्रतिशत भीण्ड में हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घनत्व 39 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घनत्व अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ जिले में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भिण्ड जिले में हैं।

तालिका क्रमांक 1.2 : मध्यप्रदेश की जनांकिकीय संरचना (2011)

क्र.स.	विवरण	सामान्य	जनजातीय
1.	कुल जनसंख्या	72626809	15316784
2.	पुरुष जनसंख्या	37612306	7719404
3.	महिला जनसंख्या	35014503	7597380
4.	कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	20.3	25.2
5.	कुल ग्रामीण जनसंख्या	52557404	14276874
6.	ग्रामीण पुरुष	27149388	7187769
7.	ग्रामीण महिला	25408016	7089105
8.	कुल ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	18.4	24.7
9.	कुल शहरी जनसंख्या	20069405	1039910
10.	शहरी पुरुष	10462918	531635
11.	शहरी महिला	9606487	508275
12.	कुल शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	25.7	32.1
13.	लिंग अनुपात	931	984
14.	ग्रामीण लिंग अनुपात	936	986
15.	शहरी लिंग अनुपात	918	956

16.	शिशु लिंग अनुपात	918	952
17.	शिशु ग्रामीण लिंग अनुपात	923	953
18.	शिशु शहरी लिंग अनुपात	901	935
19.	कुल साक्षरता दर	69.3	50.6
20.	पुरुष साक्षरता दर	78.7	59.6
21.	महिला ग्रामीण साक्षरता दर	59.2	41.5
22.	कुल ग्रामीण साक्षरता दर	63.9	49.3
23.	ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर	74.7	48.4
24.	ग्रामीण महिला साक्षरता दर	52.4	40.2
25.	कुल शहरी साक्षरता दर	82.9	66.7
26.	शहरी पुरुष साक्षरता दर	88.7	73.9
27.	शहरी महिला साक्षरता दर	76.5	59.2

Source: www.Census of India 2011, primary census abstract data highlights Madhya Pradesh series 24.

तालिका क्रमांक 1.2 के अनुसार 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 27.2 प्रतिशत हैं और कुल शहरी जनसंख्या की 5.2 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की हैं। पुरुष और 48.2 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 15,316,784 (21.1 प्रतिशत) हैं, अर्थात् राज्य की कुल जनसंख्या का पाँचवें से अधिक भाग में जनजातियों हैं। जनजातीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.2 प्रतिशत हैं जबकि सामान्य जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.3 प्रतिशत हैं। सामान्य जनसंख्या में कुल साक्षरता दर 69. 3 प्रतिशत जबकि जनजातीय जनसंख्या में 50.6 प्रतिशत साक्षरता दर हैं। अतः राज्य के जनजातीय विकास योजनाओं का प्रभाव जनजातीय जनसंख्या में देखने को मिल रहा हैं।

मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियॉ क्रमशः बैगा, भारिया और सहरिया है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 5.51 लाख हैं। यह कुल जनजातीय आबादी का 4.51 प्रतिशत के आसपास हैं। इन जनजातियों के लिए ग्यारह विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया हैं, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है। पिछड़ी जनजातियॉ/आदिम जनजातियॉ वे जनजातियॉ हैं जो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई हैं इनके पिछड़ेपन की पहचान के लिए अपनाये गये प्रमुख आधार इस प्रकार हैं–

1. प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर का होना,
2. साक्षरता का स्तर अत्यन्त निम्न होना,
3. जनसंख्या का स्थिर अथवा लुप्त होना।

भारत सरकार द्वारा इन्हें "आदिम जनजाति समूह" के रुप में मान्यता प्रदान की गई हैं। विशेष योजनाओं के माध्यम से इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यहा तक कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत विकास हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था हैं। इसके बावजूद भी इनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ हैं। वे आज भी विभिन्न परंपरागत संस्थाओं/व्यवस्थाओं से शोषण के शिकार होकर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य आयोजना में प्रावधानित जनजातीय मद में प्रावधानित बजट राशि का विभाजन मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विकास विभागों के परामर्श से जनजातियों के लिये चिन्हांकित की गई महत्वपूर्ण योजना हेतु किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता प्राप्त) अधिनियम तथा नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनजातीय कार्य विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है, मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन कर 168387 अनुसूचित जनजाति वर्ग दावेदारों के अधिकार मान्य किये गये हैं। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि एक भी

पात्रताधारी वन निवासी वन अधिकार से वंचित न रहे, तद्नुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्राथमिकता से यह कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में 244 (1) में पाँचवी अनुसूची के उपबंध के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा 244 (2) में छठी अनुसूची के उपबंध के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में व्यवस्था हैं। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने हेतु अपनाये जाने वाले मानदण्ड हैं–

- जनजातीय आबादी की प्रधानता, सघनता एवं क्षेत्र का उचित आकार,
- क्षेत्र की अविकसित प्रकृति,
- क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय असमानता आदि।

यह मानदण्ड भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु फिर भी अच्छी तरह से बरकरार हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आदिवासी उप–योजना का वर्ष 1977–78 से प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अतिरिक्त सहायता के रुप में आदिवासी उप–योजना का विशेष नीतिगत ढाँचा प्रस्तुत किया गया। आदिवासी उप–योजना अपनाते समय जनजाति क्षेत्रों के अलावा भी जनजाति आबादी की प्रधानता वाले कुछ क्षेत्र पाए गए। इसके तहत अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वाले 21 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया।

अगस्त 1976 में जनजातीय उप–योजना क्षेत्र के साथ अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाओं को को–टर्मिनस बनाने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु राष्ट्रपति को अधिकार देने के लिए पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 की धारा (2) को संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श के बाद आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (राज्य भाग क) आदेश, 1950 तथा अनुसूचित क्षेत्र (राज्य भाग ख) आदेश, 1950 को राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में निर्दिष्ट किया। आदिवासी उपयोजना राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों या केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की सकल योजना का एक हिस्सा हैं इसलिये इसे उप–योजना कहा गया हैं।

सम्पूर्ण देश की भाँति मध्यप्रदेश भारत का राजपत्र भाग–।।, सेक्शन 3, सब सेक्शन (i) दिनांक 20 फरवरी, 2003 द्वारा विभाजित मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया हैं वर्तमान में प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अग्रानुसार क्षेत्र सम्मिलित हैं। जनजातीय जनसख्या का फैलाव प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हैं किन्तु कुछ जिलों या क्षेत्रों में इनका संकेन्द्रण अधिक हैं। इसीलिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया हैं– पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के 06 जिले और आंशिक अनुसूचित क्षेत्र वाले 13 जिले, 33 तहसीलें एवं 09 विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

तालिका क्रमांक 1.3 : मध्यप्रदेश की अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उप–योजना क्षेत्र (आँकड़े लाख में जनगणना 2011)

स. क्र.	क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत	कुल जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
1.	मध्यप्रदेश	3.08	–	603.48	122.33	20.27
2.	अनुसूचित क्षेत्र	0.68	22.08	112.66	66.78	59.28
3.	आदिवासी उप–योजना क्षेत्र	0.93	30.19	130.35	82.90	63.60

Source: www.tribal.mp.gov.in/TSP

तालिका क्रमांक : 1.3 के अनुसार वर्तमान मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र 17 जिलों (04 पूर्ण और 13 आंशिक) में फैला हुआ हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किमी. में से 0.68 लाख वर्ग किमी. अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.08 प्रतिशत हैं। ये राज्य का एक बडा हिस्सा हैं, जो इस बात कि पृष्टि करता हैं, कि क्यों सम्पूर्ण देश में मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अधिक हैं। राज्य की कुल जनसंख्या (2001 के अनुसार) 603.48 लाख एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 122.33 लाख (20.3 प्रतिशत) में से अनुसूचित क्षेत्र में कुल जनसंख्या 112.66 लाख तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 66.78 लाख निवास करती हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कुल जनसंख्या की 59.28 प्रतिशत हैं।

तालिका क्रमांक 1.4 : मध्यप्रदेश में आदिवासी उप–योजना

इकाई	प्रदेश में कुल संख्या	आदिवासी उप–योजना के अंतर्गत		
		कुल	पूर्ण	आंशिक
जिले	51	35	04	31
विकासखण्ड	313	181	92	89

Source: www.tribal.mp.gov.in/TSP

तालिका क्रमांकः 1.4 के अनुसार मध्यप्रदेश के 35 जिलों में (04 पूर्ण और 31 आंशिक रुप से) आदिवासी उप–योजना संचालित हैं। यह योजना राज्य के 181 विकासखण्डों में (92 पूर्ण और 89 आंशिक विकासखण्डों रुप में) लागू की गयी हैं। जिसमें 181 विकासखण्डों के 18144 ग्राम सम्मिलित हैं।

तालिका क्रमांक 1.5 : मध्यप्रदेश में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ

आदिवासी विकास परियोजनाएँ	भारत	मध्यप्रदेश
(अ)एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ I	वृहद्	26
II	मध्यम	05
कुल	185	31
(ब) माडा पाकेट	259	30
(स) लघु अंचल (Cluster)	82	06

Source: www.tribal.mp.gov.in/TSP

संपूर्ण मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्षेत्र को प्रशासकीय दृष्टि से (तालिका : 1.5 के अनुसार) कुल 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के रुप में संचालित किया गया हैं जिसमें से 26 वृहद् और 05 मध्यम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ हैं। आदिवासी विकास परियोजनाओं में 30 माडा पाकेट और 06 लघु अंचल में भी विभक्त हैं। ये उपयोजना कानूनी और प्रशासनिक सहायता से विकास कार्यों को प्रोत्साहन देती हैं। उक्त योजना रणनीति 185 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं (Integrated Tribal Development Project)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों 259 संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी (Modified Development Agency) और 82 समूहों के माध्यम से लागू की जा रही हैं।

आदिवासी उपयोजना की धनराशि केन्द्र द्वारा समप्रित योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता (Speical Central Assistance), राज्य योजना और संस्थागत वित्त से मिलती हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण व विकास के लिए बजट का कम से कम आठ प्रतिशत उपयोग करने का अनुरोध किया गया हैं। इस प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित इन परियोजनाओं के साथ आदिवासी विकास धीरे–धीर ही सही अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा हैं।

निष्कर्ष–

मध्यप्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। जो मूलतः किसान हैं और जल–जंगल–जमीन से उसका नाभि–नाल का रिश्ता हैं। वह जंगल के उत्पाद पर गुजर–बसर करता हैं और प्रकृति के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते हुए, उसकी रक्षा भी करता हैं। वह उसका उपभोक्ता भी हैं और पोषक भी। विडम्बना यह हैं कि मध्यप्रदेश के आदिवासी समूह से भारत की शेष आबादी आज भी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं और तो और, जो लोग मध्यप्रदेश में उन पर राज कर रहे हैं, वे भी उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली, मूल्यों, आचार संहिताओं तथा उनकी सर्व सहमति व लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं।

इन आदिवासी वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश की आयोजना मद का 21.09 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है। मध्यप्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य सभी जगह सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित वर्ग की पहुंच से परे हैं। जहाँ तक मेरे विचार से इसके पीछे योजनाओं का जमीनी स्तर पर किया गया अध्ययन बहुत ही कमजोर होना हैं। आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी जनजातियों के विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में राज्य सरकारें आदिवासी विकास परिषदों को भागीदार नहीं बना रही हैं। इसका परिणाम हैं कि संविधान द्वारा परिषदों को सौंपे गये कार्यों की उपलब्धि वांछित स्तर तक नहीं हुई हैं। आजादी के बाद भारत में आदिवासियों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण, सरकार की घोषित नीतियों और वर्चस्व रखने वाली जनसंख्या के हितों में निहित टकराव हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. GOI (2011), *Annual Report 2010-11*, Ministry of Tribal Affairs. New Delhi, India.
2. अटल, योगेश एवं सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2011), *'आदिवासी भारत'*, जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स.
3. उपाध्याय, विजयशंकर एवं शर्मा, विजय प्रकाश (2007), *'भारत की जनजातीय संस्कृति'*, भोपालः मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
4. उप्रेती, हरिश्चन्द्र (1963), *'भारतीय जनजातियाँ संरचना एवं विकास'*, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
5. तिवारी, कपिल (2010), *'सम्पदा मध्यप्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा का साक्ष्य'*, भोपालः आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी.
6. तिवारी, कपिल (1994), *'प्रतिरुप'*, भोपालः मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्.
7. तिवारी, प्रदीपमणि (2006), *'मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं रीति–रिवाज'*, जयपुरः नमन पब्लिकेशन.
8. तिवारी, शिवकुमार (2005), *'मध्यप्रदेश की जनजातीय सस्कृतिं'*, भोपालः मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
9. तिवारी, शिवकुमार एवं शर्मा, श्रीकमल (2009) ,*'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ'*, भोपालः मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.